


245



न्यायालय- श्रीमान् राजस्व मंडल: मं प्र. उकासियर केम्प सागर  
निग 3513- I-16

रामविशाल अहिरवार उम्र 36 साल बल्द श्री ख. गम्भा उर्फ गनपत  
निवासी- ग्राम बांदरी (वडळ) पो. धनौरा तहसील खुरई जिला सागर  
पुनरीक्षण कर

B.O.R.

23 SEP 2016

श्रीमान् राजस्व मंडल  
मं प्र. उकासियर केम्प सागर

विक्रह

बाबूलाल कोरी उम्र 42 साल बल्द मोहनलाल कोरी  
निवासी- ग्राम बांदरी (वडळ) पो. धनौरा तहसील खुरई  
जिला सागर (म.प्र.)  
26/9/16

प्रतिपुनरीक्षण कर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. शू. राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् राजस्व मंडल  
मं प्र. उकासियर केम्प सागर  
अधीनस्थ  
कार्यालय अहिरवार, सागर मंडलाग,  
सागर (म.प्र.)

85  
26/09/16

निम्न न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार खुरई जिला सागर के  
श.प्र.उ. 3 अ/70 वर्ष 15.16 मंड कब्जा के प्रकरण में पक्षकार  
बाबूलाल त्रि. रामविशाल मे आदेश दिनांक 29/11/16 धारा 250  
शू.रा. संहिता की मद में दर्ज करने के विक्रह न्यायालय श्रीमान्  
अनुविभागीय अधिकारी, खुरई डरा श.प्र.उ. 3 अ/70 सन  
15.16 अधीन धारा 44 म.प्र. स. आदेश दिनांक 28/06/2016  
निम्न न्यायालय की अनियमितता पूर्ण आदेश के विक्रह पुनरीक्षण  
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण के तथ्य

निम्न न्यायालय तहसीलदार खुरई जिला सागर प्रतिअपीला धारा  
डरा प्रस्तुत एक आदेश पर कब्जा संबंधी अनुविभागीय अधिकारी  
खुरई के समक्ष प्रस्तुत करने पर निम्न न्यायालय श्रीमान्  
तहसीलदार खुरई डरा श.प्र.उ. 3 अ/70 वर्ष 15.16 दिनांक 6/8/13  
में प्रस्तुत किया गई साल के अंतराल में निम्न न्यायालय  
तहसीलदार खुरई डरा मद-स्वविक्रह से जो विधिपूर्ण आदेश  
पर प्रस्तुत न करने के वाक्य दिनांक 29/11/16 के आदेश डरा  
प्रकरण धारा 250 शू.रा. संहिता के तहत श.प्र.उ. 1229 वी/12)  
में दर्ज करने के विक्रह

3

— 2 —  
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3513-एक/2016

जिला सागर

रामविशाल अहिरवार

विरुद्ध

बाबूलाल कोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-3-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खुरई जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 74/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-6-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 6-5-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i> 07/03/19</p>

12  
1  
घ  
अ  
र  
2